मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 10, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-65-2007-1-पांच (01), दिनांक 3 जनवरी, 2008 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रुस्तम सिंह. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का प्रशासकीय प्रतिवेदन (द्वितीय) वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-39-04-सात-शा.-6, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आरटीकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के मंऊगंज क्षेत्र में सिंचाई तालाबों का निर्माण कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य, द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा. (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं. "

निर्धारित समय

5. अशासकीय संकल्प

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा से भोपाल एवं भोपाल से रीवा चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस को भोपाल जंक्शन के स्थान पर हबीबगंज रेल्वे स्टेशन से चलाई जाय."

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने की व्यवस्था दिल्ली राज्य के समान लागू की जाय."

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाय."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 फरवरी, 2008